

बिहार लोक सेवा आयोग,
15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना-800001

आवश्यक सूचना


विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार के अधीन राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में व्याख्याता के पदों पर नियुक्ति हेतु आयोग द्वारा प्रकाशित वि.सं. 45/2020 (अंग्रेजी) के अंतर्गत साक्षात्कार का आयोजन किया गया था। साक्षात्कार में शामिल उम्मीदवारों द्वारा साक्षात्कार के दिन एवं साक्षात्कार के बाद एक अवसर देने के उपरांत समर्पित प्रमाण पत्रों के आधार पर निम्नांकित उम्मीदवारों से सम्बन्धित विज्ञापन के अंतर्गत उनकी कोटि एवं अनर्हता से सम्बन्धित अभ्युक्ति अंकित की गई है:-

Sl. No.	Roll No.	Name	Required documents / Remarks
1.	450020	ABRITY THAKUR	1. FFD प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने के कारण FFD कोटि के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। 2. Ph.D. का अंक आवंटित कर दिया गया है।
2.	450073	PRATIMA DUSADH	दो राज्य का जाति प्रमाण पत्र (मूल आवेदन के साथ एवं साक्षात्कार के दिन) संलग्न करने के कारण आपके जाति प्रमाण पत्र को मान्य नहीं किया गया है।
3.	450099	ABHISHEK KUMAR	विज्ञापन की शर्तों के अनुसार निर्धारित तिथि के बाद का निर्गत होने के कारण NCL प्रमाण पत्र को अमान्य किया गया है।
4.	450144	PREETI BALA	Ph.D. का अंक आवंटित कर दिया गया है।
5.	450359	ABDUR RAZIQUE	जन्म वर्ष में सुधार कर दिया गया है।
6.	450376	MALWIKA	विज्ञापन की शर्तों के अनुसार निर्धारित तिथि के बाद का निर्गत होने के कारण NCL प्रमाण पत्र को अमान्य किया गया है।
7.	450391	DEVINA KUMARI	FFD प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने के कारण FFD कोटि के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है।
8.	450394	SWETA KUMARI	B.A. & M.A. दोनों में द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण होने एवं M.A. मूल प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने के कारण विज्ञापन की शर्तों के आलोक में अनर्हित किया गया है।
9.	450396	NEHA KUMARI	Ph.D. का अंक आवंटित कर दिया गया है।
10.	450407	SHAKILA KUMARI	आपति के आलोक में अंक आवंटित कर दिया गया है।

उपरोक्त सूची में अंकित उम्मीदवारों को एक अंतिम अवसर देते हुए सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 21.04.2023 को आयोग कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अपनी अभ्युक्ति में अंकित तथ्यों से सम्बन्धित साक्ष्य/प्रमाण (प्रासंगिक प्रमाण पत्रों सहित) मूल में प्रस्तुत कर सत्यापन कराना सुनिश्चित करेंगे। सत्यापन नहीं कराये जाने की स्थिति में उक्त उम्मीदवारों की अर्हता/वेटेज अंक/आरक्षण का दावा आदि प्रभावित होगा, जिसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे एवं उनके सम्बन्ध में आयोग अपने स्तर से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा।

सभी सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति दो प्रतियों में सत्यापन हेतु लाना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त किसी प्रकार का अनुरोध/दावा स्वीकार नहीं होगा।


18/4/23
परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना